कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्याः– 1203 / FP/UK/Others/33472/2018 देहरादूनः दिनांकः 02 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2018

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत त्यूनी–पुरोला–नौगांव मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाने के सम्बन्ध में।(0.9449 ha)
(Online file no - FP/UK/Others/33472/2018)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत त्यूनी–पुरोला–नौगांव मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।** (0.9449 ha) **Reliance Jeo Infocomm Ltd को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाने के सम्बन्ध में** के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने का वन भूमि प्रस्ताव आनलाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के अनुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, एवं वन संरक्षक यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी सहमती व्यक्त की गई है। चूँकि प्रश्नगत कार्य भारत सरकार की परियोजना ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु व्यापक जनहित में किया जा रहा है। अतः वन भूमि के कथित प्रयोजन हेतु अनुमति दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। प्रसतावित परियोजना को क्षेत्रफल 1.00 हे0 से कम है तथा क्षेत्र किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत नही आता है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में वृक्षों का पातन निहित नही है।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–11–568/2014 एफ.सी. दिनांक–02.02.2015 के द्वारा भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन विछाने की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। (संलग्नक–1) मा0 उच्चतम न्यायलय के आदेश दिनांक 24.05.2008 एवं आदेश दिनांक 09.05.2008 तथा तत्क्रम में भार सरकार के पत्रांक 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 (संलग्न–2) के द्वारा कतिपय प्रयोजनों हेतु एन0पी0वी0 की देयता से छूट प्रदान की गयी ही है। अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद– **जनपद–उत्तरकाशी के अन्तर्गत त्यूनी–पुरोला–नौगांव मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन Reliance Jeo Infocomm Ltd को 30 वर्षो की लीज पर दिया जाने के सम्बन्ध में** प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या / **FP/UK/Others/33472/2018** तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी –उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।
3. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकोम, तृतीय तल मकर चेम्बर, IV, 222–नरिमन प्वाइन्ट, महाराष्ट्र।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक